


विज्ञापन सं०-02/2018

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में लेखा पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में रिक्त लेखा पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन विहित-प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. कुल पद :- 1 (एक)
2. पात्रता :- (i) लेखा पदाधिकारी अथवा समकक्ष पद से सेवा निवृत्त बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी।
3. कोटि :- सामान्य
4. उम्र सीमा :- अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष
5. संविदा पर नियोजन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक तथा इसके पूर्व भी समाप्त किया जा सकेगा। अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक सेवा आवश्यकतानुसार एवं संतोषजनक पाए जाने पर एक-एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।
6. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।
7. निम्नांकित कोटि के कर्मियों को नियोजन नहीं किया जा सकेगा :-
  - (i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
  - (ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
  - (iii) जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचाराधीन हो।
  - (iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।
  - (v) जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सक्षम नहीं हैं।
8. उपर्युक्त शर्तों के अधीन बिहार लेखा सेवा से समकक्ष पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी संविदा पर नियोजन के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर 4, कौटिल्य मार्ग, पटना-1 स्थित लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में जमा कर सकते हैं।

  
संयुक्त सचिव-सह-सचिव (प्रभारी)  
लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना।

## नियोजन हेतु विहित आवेदन का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नाम :-

मोबाईल संख्या—

E mail I.D.

2. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम :-

3. जन्म तिथि

4. सेवानिवृत्ति की तिथि :-

5. वर्तमान पता :-

6. स्थायी पता :-

7. नियुक्ति की तिथि :-

8. विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुए हैं :-

9. (i) पदनाम :-

(जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं)

(ii) उक्त पद पर कुल सेवावधि :-

10. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानी

वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं

स्थान :

तिथि:

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :- (i) विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष सुरक्षित रहेगा ।

(ii) किसी भी विवाद का निपटारा माननीय अध्यक्ष, बिहार, लोकायुक्त कार्यालय, पटना के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा ।

फोटो  
(पासपोर्ट साईज)